न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 04 सन 2014
अनवान :–

1. बलजीतसिह पुत्र हाकमसिह जाति मजबी सिख निवासी कोट सुखिया तहसील कोटकपुरा जिला फरिदकोट (फोत)
1/1. सुखदेवसिह 1/2 सुखप्रितसिह 1/3 बोबीसिह पि0 बलजीतसिह जाति मजबीसिख नाबालिग जरिये बली दादी गुरदेवकोर पत्नी हाकमसिह जाति मजबीसिह निवासी कोटसुखिया तहसील कोटकपूरा जिला फरीदकोट

सायलान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 03/04/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा भुकरका के खाता संख्या 433/374 के खसरा न0 11 की 3.731हैक , खसरा न0 39 की 3.300हैक खसरा न0 40 की 2.226हैक कुल 9.257हैक भूमि है जिसमें प्रार्थी का 98–1/3 हिस्सा भूमि है जिसके वह खातेदार काश्तकार है जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम गुरबक्ससिह दर्ज कर दिया है जबकि सायल के पिता का नाम हाकमसिह है सायल के सभी दस्तावेजात में बलजीतसिह पुत्र हाकमसिह दर्ज है मगर राजस्व रिकार्ड में हाकमसिह के बजाय गुरबक्ससिह दर्ज कर दिया गया है उक्त गलत अंकन रहने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में लेने में कठिनाई होती है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 433/374 में दर्ज प्रार्थी की भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम गुरबक्ससिह के बजाय हाकमसिह संशोधन करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेरोकार राज को जरिये सम्मन तलब किया गया पेरोकार राज ने वादी का नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी बिना किसी आधार के नाम संशोधन करवाने का अधिकारी नही राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया जाकर हमने उभयपक्षों की बहस सुनी

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा भुकरका के खाता संख्या 433/374 के खसरा न0 11 की 3.731हैक , खसरा न0 39 की 3.300हैक खसरा न0 40 की 2.226हैक कुल 9.257हैक भूमि है जिसमें प्रार्थी का 98–1/3 हिस्सा भूमि है जिसके वह खातेदार काश्तकार है जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम गुरबक्ससिह दर्ज कर दिया है जबकि सायल के पिता का नाम हाकमसिह है सायल के सभी दस्तावेजात में बलजीतसिह पुत्र हाकमसिह दर्ज है मगर राजस्व रिकार्ड में हाकमसिह के बजाय गुरबक्ससिह दर्ज कर दिया गया है जिसे संशोधन करवाकर बलजीतसिह पुत्र हाकमसिह दर्ज करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Chanwala
Date: 2025.04.07 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सही तौर से दर्ज है पंजीबद्व दस्तावेज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के आधार पर सही तौर से नाम दर्ज किया गया वादी बिना किसी आधार के नाम संशोधन करवाने का अधिकारी नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मोजा भुकरका के खाता संख्या 433/374 के खसरा न0 11 की 3.731हैक , खसरा न0 39 की 3.300हैक खसरा न0 40 की 2.226हैक कुल 9.257हैक भूमि है जिसमें प्रार्थी का 98–1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम बलजीतसिह पुत्र गुरबक्ससिह दर्ज है

प्रार्थी का कथन है प्रार्थी के पिता का नाम गलत तौर से हाकमसिह के स्थान पर गुरबक्ससिह दर्ज किया गया है जिसे संशोधन किया जावे प्रार्थी का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि प्रार्थी ने भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीद की गई भूमि है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पंजीबद्व बेयनामा में प्रार्थी के पिता का नाम गुरबक्ससिह ही दर्ज है उसी के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज किया गया है।

प्रार्थी एव उसके पिता का नाम पंजीबद्व दस्तावेजात के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रृटी नही है यदि प्रार्थी के पिता का नाम बैयनामा में गलत है तो वह बैयनामा में संशोधन करवाने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है बिना किसी ठोस आधार के प्रार्थी अपने पिता का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी नही है

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात /निर्णय की प्रति के अनुसार प्रार्थी जिस बेयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन करवाना चाहता है उसे माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.11.2023 से निरस्त किया जा चुका है प्रार्थी ने उक्त तथ्यों को छुपाकर अपने पिता का नाम संशोधन करवाना चाहता था अर्थात प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है

उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम पंजीबद्व दस्तावेजात के अनुसार सही तौर से दर्ज है तथा प्रार्थी जिसे बेयनामा के आधार पर अपने पिता का नाम संशोधन करवाना चाहता था उस बेयनामा को माननीय न्यायालय के द्वारा निरस्त भी किया जा चुका है प्रार्थी अपने पिता का नाम संशोधन बिना किसी ठोस आधार के संशोधन करवाने का अधिकारी नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Chadwa / Kaj Srivastava
Date: 2025.04.07 15:33:05 IST
Reason: SelfAttested